सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा .सं :. NCST/SER-2154/JH/66/2025-RU-IV

दिनांक : 22.09.2025

सेवा मे,

सचिव,
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एंव परिवार कल्याण विभाग,
झारखण्ड सरकार,
नेपाल हाउस, डोरंडा, रांची, झारखंड 834002
E.mail: hlthdept.fdi@gmail.com

उपायुक्त,
जिला – गुमला
उपायुक्त का कार्यालय, समाहरणालय
भवन,
गुमला, झारखंड 835207
Email Id: dc-gum@nic.in

विषय: सदर अस्पताल, गुमला वर्ग (झारखंड़)3 पद पर प्रोन्नति हेतु अहर्ता रखने आदिम जनजाति वर्ष 2008 से आवेदन समर्पित करने वाले वर्ग 4 से वर्ग 3 के पद पर प्रोन्नति देने हेतु विभाग को पत्र जारी करने हेतु निर्देश देने के संबंध में – श्री सोमरा असुर, सदर अस्पताल, गुमला का दिनांक (झारखंड़)14.01.2025 का पत्रअभ्यावेदन ।/

महोदय,

उपरोक्त विषय पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीया सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 28.08.2025 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गए अनुशसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट की गई कार्रवाई की रिपोर्ट/ 30 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

संलग्न:यथोपरि।

भवदीय

योगेंद्र प्र/ यादव . Yogendra P. Yadav
उप सचिव / Deputy Secretary
E.mail ID: rahul.1424@ncst.nic.in

प्रति सूचनार्थ:

श्री सोमरा असुर,
चतुर्थवर्गीय कर्मचारी,
सदर अस्पताल,
गुमला (झारखंड़(- 835207,

(ii) PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
(iii) NIC for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फ़ाइल स. NCST/SER-2154/JH/66/2025-RU-IV

वर्ग-III पद पर पदोन्नति हेतु अहर्ता रखने वाले आदिम जनजाति के कर्मचारी, जो वर्ष 2008 से आवेदन समर्पित कर रहे हैं, को वर्ग-IV से वर्ग-III पद पर प्रोन्नति प्रदान किए जाने के संबंध में — श्री सोमरा असुर, सदर अस्पताल, गुमला (झारखंड) द्वारा दिनांक 14.01.2025 को प्रस्तुत पत्र/अभ्यावेदन के मामले में दिनांक 28.08.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे आयोग की माननीय सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में आयोजित सिटिंग का कार्यवृत्त ।

सिटिंग की तिथि : दिनांक 28.08.2025, प्रातः 11:00 बजे
सिटिंग में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-I के अनुसार।

श्री सोमरा असुर की शिकायत दिनांक 14.01.2025 को आयोग में प्राप्त हुई । अपनी शिकायत में उन्होने बताया की वे असुर आदिम जनजाति समुदाय से संबंध रखते हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर एवं विलुप्तप्राय जनजाति है। वे मैट्रिक एवं इंटर उत्तीर्ण हैं और 22.05.1990 से सदर अस्पताल, गुमला में चतुर्थवर्गीय कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं।लगातार 35 वर्षों की सेवा अवधि में उनका कार्य संतोषजनक रहा है। वरिष्ठता एवं नियमों के आधार पर उन्होंने 22.01.2008 से अब तक कई बार विभाग को पत्र लिखकर वर्ग-4 से वर्ग-3 लिपिक संवर्ग पद पर प्रोन्नति की मांग की है।किन्तु, अब तक उन्हें प्रोन्नति प्रदान नहीं की गई है, जबकि उनके ही बैच (1989–90) के अन्य चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों को जिला कार्यालय द्वारा वर्ष 1997–99 में ही वर्ग-3 लिपिक संवर्ग में प्रोन्नति दे दी गई।

2. आयोग द्वारा इस संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगे जाने हेतु सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एंव परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार एवं उपायुक्त, जिला – गुमला , झारखंड को नोटिस दिनांक 29/05/2025 भेजा गया । आयोग के नोटिस के प्रतिउत्तर में सम्बंधित कार्यालय से एक उत्तर दिनांक 07.07.2025 को आयोग में प्राप्त हुआ । शिकायतकर्ता ने सम्बंधित प्राधिकारी के उत्तर के सम्बन्ध में प्रत्युतर दिनांक 24.07.2025 भेज कर अपनी असहमति व्यक्त की है |

3. उपायुक्त , गुमला से प्राप्त उत्तर तथा शिकायतकर्ता के rejoinder के अवलोकन उपरांत आयोग द्वारा मामले में सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एंव परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार एवं उपायुक्त, जिला – गुमला , झारखंड के साथ आयोग में दिनांक 28.08.2025 सिटिंग तय की गयी । तदनुसार संबन्धित को सिटिंग नोटिस जारी किया गया । अभ्यावेदक को भी इसकी जानकारी दी गयी ।

4. सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी, गुमला, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सके। उनकी अनुपस्थिति में असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य पदाधिकारी, गुमला ने उनकी ओर से उपस्थित होकर मामले से संबंधित जानकारी प्रस्तुत की। उल्लेखनीय है कि शिकायतकर्ता स्वयं भी सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहे। सुनवाई के दौरान यह अवगत कराया गया की गुमला जिला के स्वास्थ्य विभाग में वर्ष 1989-90 में चतुर्थ एवं तृतीय वर्गीय कर्मचारियों की नियमित नियुक्ति जिला स्तर पर की गई थी। इसके बाद अविभाजित बिहार सरकार द्वारा वर्ष 1994 से नियुक्तियाँ सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से होने लगीं। 1989-90 की

5. मामले में सुनवाई के उपरांत आयोग द्वरा निम्नलिखित अनुशंसाएं की जाती है:-

(i) मामले में वर्ष 2005 के पश्चात सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन न किए जाने के कारण क्या हैं तथा पदोन्नति हेतु पात्र अभ्यर्थियों को किस प्रकार से लाभान्वित किया जाता रहा हैकी स्पष्ट जानकारी आयोग को प्रेषित की जाए ।

(ii)स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड सरकार, के सचिव ,झारखंड राज्य के अंतर्गत कार्यरत सभी ग्रेड-IV (चतुर्थ श्रेणी) कर्मचारियों की पदोन्नति से संबंधित समस्त विवरण—जैसे रिक्त पदों की स्थिति, पदोन्नति हेतु निर्धारित मानदंड, अब तक की गई पदोन्नतियों का ब्यौरा, लंबित मामलों की स्थिति तथा संबंधित विभागीय आदेश/परिपत्र आदि—का एक समेकित एवं अद्यतन रिपोर्ट के रूप में संकलन कर यथाशीघ्र आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। साथ हीराज्य में कार्यरत ग्रेड-IV कर्मचारियों से संबंधित पदोन्नति मामलों का गंभीरतापूर्वक संज्ञान लें तथा उनके त्वरित एवं न्यायसंगत निष्पादन की व्यवस्था करें।

मामले में के गयी कार्रवाई की अनुपालन रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर आयोग में प्रस्तुत करें।

12/09/2025

(डॉ आशा लकड़ा)
सदस्य
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

(File No. NCST/SER-2154/JH/66/2025-RU-IV)

ATTENDANCE SHEET

Sub: Sitting to be held on 28.08.2025 at 11:00 A.M. in the case of वर्ग 3 पद पर प्रोन्नति हेतु अहर्ता रखने आदिम जनजाति वर्ष 2008 से आवेदन समर्पित करने वाले वर्ग 4 से वर्ग 3 के पद पर प्रोन्नति देने हेतु विभाग को पत्र जारी करने हेतु निर्देश देने के संबंध में- श्री सोमरा असुर, सदर अस्पताल, गुमला (झारखंड(का दिनांक 14.01.2025 का पत्रअभ्यावेदन ।/

Sr. No.	Department	Contact details	Signature
I	National Commission for Scheduled Tribes		
1.	Dr. Asha Lakra, Hon'ble Member		In Chair
2.	Shri Yogendra Prasad Yadav, Deputy Secretary		
3	Shri Riya, Investigator		
4	Shri Rahul Yadav, Consultant (Legal)		
II	सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एंव परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार		
1.			
2.			
3.			
III	जिलाधिकारी, गुमला		
1	उ०अ०श्री नक्षत्र चौधरी अधीनस्थ अपर सिविल सर्जन एवं मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गुमला	9939977844	28.08.2025
2.			
IV	शिकायतकर्ता		
1.			
2.			